न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना—कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :—

1. झुमर लाल मेघवाल पुत्र श्री हेमाराम जाति मेघवाल निवासी जावली तहसील मेड़ता सिटी नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. ओमप्रकाश खोरवाल पुत्र श्री हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
2. कमला देवी पत्नी पूरणमल जाति रैगर निवासी इन्द्रा कॉलोनी जयपुर रोड अजमेर
3. कमला देवी पत्नी ओगडराम जाति मेधवाल निवासी रघुनाथपुरा
4. गणेशाराम पुत्र किसनाराम जाति नायक निवासी ईयारा सुजानगढ चुरू
5. घनश्याम पुत्र पूरणमल जाति रैगर निवासी इन्द्रा कॉलोनी जयपुर रोड अजमेर
6. चूका देवी पत्नी हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
7. ताराचंद मेघवंशी पुत्र नंगा लाल जाति मेघवाल निवासी भूढा पुष्कर कानस तहसील पुष्कर
8. नर्बदा पुत्री हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
9. पप्पूराम पुत्र चोथराम जाति रैगर निवासी पीह
10. परसाराम पुत्र हरलाल जाति रैगर निवासी पीह
11. ब्रजेश कुमार पुत्र नारायणराम जाति रैगर निवासी पीह
12. बिदामी पत्नी हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
13. बिन्दु परीहार पुत्री किस्तूरचन्द जाति दमामी निवासी देवलीकलातह रायपुर पाली
14. भंवरलाल पुत्र चोथाराम जाति रैगर निवासी पीह
15. मुकेश कुमार खोरवाल पुत्र हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
16. मनोज कुमार खोरवाल पुत्र हजारीलाल जाति रैगर निवासी पीह
17. रामजीवण पुत्र हरलाल जाति रैगर निवासी पीह
18. लक्ष्मणराम पुत्र नारायण जाति रैगर निवासी पीह
19. शिवपाल पुत्र मदनलाल जाति गवारिया निवासी कुलियाना
20. सुनिता देवी पत्नी घनश्याम मोनपुरिया जाति रैगर
21. सुनिता देवी पत्नी घनश्याम जाति रैगर निवासी इन्द्रा कॉलोनी जयपुर रोड अजमेर
22. हनुमान पुत्र हाथीराम जाति रैगर निवासी पीह
23. हरी पुत्र आशा जाति रैगर निवासी पीह
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :— बंटवारा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री राघव शर्मा अधिवक्ता वादी,

श्री देवेन्द्र मालाकार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7

निर्णय दिनांक :— 07.01.2025

मुकदमा नम्बर :— 2024 / 287

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम पीह की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 614 खसरा नम्बर 1795 रकबा 25.4300 हैक्टर आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादी का 1/12 हक हिस्सा आया हुआ है जिस पर वादी लगातार काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता आ रहा है। वादी अपने हक हिस्से में आयी कृषि भूमि रकबा 2.1191 हैक्टर का लगातार निर्बाध रूप से उपयोग करता आ रहा है तथा लगातार काश्त करता व करवाता आ रहा है जिसमें पुख्ता बाड खन्दक लगी हुई है तथा मौके की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस वाद के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट–क वाद पत्र के साथ संलग्न है जिसमें वी के हिस्से को नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया है व शेष अन्य प्रतिवादीगण का शेष हिस्सा आया हुआ है। वर्तमान में प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपना हिस्सा अजनबी केता को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी के हिस्से में जो कृषि भूमि आयी हुई है। उसे अंकित करते हुए बेचान की धमकिया लगातार वादी को दे रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी के हिस्से की कृषि भूमि का बेचान करने की धमकी देने पर वादी ने सभी काश्तकारो से मिलकर आपसी सहमति से वर्षो पूर्व किये गये बंटवारे के आधार पर प्रतिवादी आनाकानी कर रहे है इस कारण वादी को मजबूरन वर्षो पूर्व हो रखे बंटवारे के अनुसार ही वादी का हक हिस्सा घोषित करवाने हेतु घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वर्षो पूर्व हो रखे बंटवारे से इन्कार करने पर तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बंटवारा वर्षो पूर्व हो रखे अनुसार प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार से करवाने का अनुयाय विनय करने के उपरान्त भी नहीं मानने पर वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवारे की इस्तदुआ की है।

दावा वकील वादी द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 से 23 के सम्मन विधिवत रूप से तामिल सुदा प्राप्त बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र मालाकार ने इकबालिया जवाब पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थना वादी की है जो स्वीकार किये जाने की परिस्थिति में प्रतिवादी संख्या 7 को कोई आपत्ति नहीं है। वादी अपने हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। इकबालिया जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

माफिक अनुतोष वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे तो पत्रावली साक्ष्य में तलब की गई। जिसमें वादी झुमरलाल मेघवाल पुत्र श्री हेमाराम का शपथ–पत्र पेश किया ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बंद की जाकर बहस उभय पक्षो की सुनी गई। दौराने बहस वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वाद बंटवारा का होने से प्राथमिक रूप स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज माफिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर मंगवाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्ववतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायकि दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया जाकर वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/3069 दिनांक 31.12.2024 द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिसका अवलोकन कर उभय पक्षकारों ने सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में घोषित किया जाकर अलग–अलग होल्डिंग कायम किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम पीह की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 614 खसरा नम्बर 1795 रकबा 25.4300 हैक्टर भूमी का भूमि में से तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना कुचामन)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)